फर्द अहकाम

न्यायालय ______

______ बनाम ______

मुकदमा संख्या / वर्ष ______ / 20__

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
	12.06.2024	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 CPC पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पूर्व मे सुनी जा चुकी है। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 420 रकबा 0.4932 है०, ख० नं० 422 रकबा 0.1265 है० ग्राम नांगल जैसा बोहरा तह० व जिला जयपुर, वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार भुवाना पुत्र बालू के नाम दर्ज है। एवं मौके पर सघन आबादी विकसित है। उक्त भूमि कृषि योग्य शेष नहीं बची है। उक्त विचाराधीन भूमि में ना तो वादी रिकॉर्डेड खातेदार है, ना ही भूमि कृषि योग्य है। ऐसे में वादी का वाद Barred by Law होने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी / वादी अधि. ने अपने जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि	

सहायक कलक्टर जयपुर [illegible] प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय Acm Jaipur Ist

सुरेश कुमार बनाम बनवारी

मुकदमा संख्या/वर्ष . T.I. 03/2023 /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12.06.2024	वादग्रस्त सम्पत्ति मे जमाबंदी की प्रति न्यायालय के अभिलेख पर है, जिसमे वादग्रस्त आराजी 'कृषि भूमि' के रूप में ही दर्ज है। इसके साथ ही अप्रार्थी अधि. ने यह भी जाहिर किया कि प्रतिवादीगण/प्रार्थी ने अपने प्रा० पत्र मे यह उल्लेखित नहीं किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के कौनसे प्रावधान वादी के वाद पत्र को वर्जित करते है। उक्त प्रार्थी का प्रा० पत्र सारहीन निरर्थक है, जो खारिजी योग्य है। उभयपक्षकारान अधिवक्तागण को बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मय दस्तावेजात के गहनतापूर्वक अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि वादी ने यह वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा, राज० काश्तकारी अधि० पेश किया है। वादी उक्त वादग्रस्त आराजी मे ना तो रिकॉर्डेड खातेदार है और ना ही वादी ने खातेदार अधिकारी की घोषणा का अनुतोष चाहा है। इसलिए बिना खातेदार	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय ____________________

____________________ बनाम ____________________

मुकदमा संख्या/वर्ष : ____________/20____

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		अभिधारी हुए वादी को कोई Cause of Action/ वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हो सकता। धारा- 188, राज० काश्तकारी अधि० 1955 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा का वाद ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित नहीं किया जा सकता जो अभिधारी नहीं है केवल रिकॉर्डेड खातेदार ही धारा 188 अन्तर्गत वाद दायर कर सकता है अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है वादी का वाद धारा 188 राज० काश्तकारी अधि० 1955 से वर्जित/बाधित होने के आधार पर पोषणीय नहीं होने की स्थिति में खारिज किया जाता है	

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

यायालय Acm Jaipur I

सुरेश बनाम भगवती

ुकदमा संख्या/वर्ष T.I 03/202420

क0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12.06.24	निर्णय आज दिनांक 12/06/24 को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	